न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 37 / 2024
जीसीएमएस न.:– 2024 / 45
प्रविष्टि दिनांक:– 15.02.2024
निर्णय दिनांक :– 29.01.2025

::–उनवान–::

1. श्री अजय मोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूँगरपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिवेश जैन पिता श्री सुन्दर लाल जैन (एफ.बी.ओ) मैसर्स सुन्दरलाल नाथूलाल पिण्डावल घाटी हिरो मोटर्स के सामने साबला जिला डूँगरपुर

2. सुन्दरलाल पारिख (प्रोपेराईटर) मैसर्स सुन्दरलाल नाथूलाल पिण्डावल घाटी हिरो मोटर्स के सामने साबला जिला डूँगरपुर

3 मैसर्स सुन्दरलाल नाथूलाल पिण्डावल घाटी हिरो मोटर्स के सामने साबला जिला डूँगरपुर

4. जयप्रकाश बंसल (प्रोपेराईटर) मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स इटाली चौराहा फतहनगर जिला उदयपुर

5. मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स इटाली चौराहा फतहनगर जिला उदयपुर

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं धारा 51

उपस्थिति :

(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।

(2) विपक्षीगण श्री दिवेश जैन स्वयं उपस्थित।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

::—<u>निर्णय</u>—:: दिनांक: 29.01.25

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय मोयल बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.02.2023 को दोपहर बाद मैसर्स सुन्दरलाल नाथुलाल पिण्डावल घाटी हिरो मोटर्स के सामने सावला जिला डूँगरपुर पर पहुंचा। वहां श्री दिवेश जैन पिता श्री सुन्दरलाल जैन (एफ.बी.ओ.) मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।
2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में आम जनता को वेचने हेतु 500—500 ग्राम मिर्च पाउडर (ब्राण्ड नाम एस.पी.एल.) की 13 पैक थेलियॉ रखी हुई थी, निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री दिवेश जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रषीद प्राप्त की जिस पर श्री दिवेश जैनएवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के द्वारा तस्दीक किया।
3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में आम जनता को वेचने हेतु 500—500 ग्राम मिर्च पाउडर (ब्राण्ड नाम एस.पी.एल.) की 13 पैक थेलियॉ रखी हुई थी, उसमें से कुल 04 थेलियॉ मिर्च पाउडर वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री दिवेश जैन को रू 720/— अक्षरे सात सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री दिवेश जैन के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।
4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 थेलियॉ मिर्च पाउडर को अलग—अलग चार साफ, खाली, सुखे, जार में बराबर—बराबर जार में 500—500 ग्राम भर कर एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक z-1080 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं- Z-1080 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री दिवेश जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग गय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला एम.जी. अस्पताल परिसर बांसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूँगरपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1341 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. पी.एच. लैब/बांसवाडा/ एक्ट/ 2023/115 दिनांक 15.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया मिर्च पाउडर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री दिवेश जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिर्च पाउडर का विक्रय कर रहा था, वह जांच **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

8. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिर्च पाउडर का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य सुरक्षा व

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डूॅंगरपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii),एवं दण्डनीय धारा 51 का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 2,000/— (अक्षरे दो हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.01.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डूॅंगरपुर—राज0